न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 03 / 2018

सरकार बनाम पवन पुत्र जगदीश जाति– ब्राहम्ण,

निवासी– ढंढार

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 18.01.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल का भाई राधेश्याम उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि गैर सायल पवन पुत्र जगदीश जाति ब्राहम्ण निवासी ढंढार द्वारा रोही मौजा ढंढार की भूमि ख.नं. 104 के कुल रकबा 0.89 है. किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 20 वर्ग मी. भूमि पर छडी बाड लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके भाई राधेश्याम ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि ख.नं. 143 में प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुये गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्व बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 06 रूपये कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 46 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 6/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(बनवारीलाल)
नायब तहसीलदार सूरजगढ़